



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून |

699 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, अगस्त ०३, २०१५

पत्रांक
सेवा में,

प्रभागीय बनाधिकारी,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी |

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सहस्रशासा (कार्लीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग कुल लम्बाई 11.425 किमी के निर्माण हेतु वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गेर बनिकी कार्य हेतु हेतु यान्म विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन भूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति। F.I.O./U.S./~~2045~~/1365/2015

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपके स्तर से भेजे गये विषयाकिंत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्ट्या निम्न

कमियां पायी गई हैं, जिनका विवरण बिन्दुवार है:-

- 1- भाग-2 प्रपत्र जो हिन्दी में उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, के कालम संख्या 7 (6) में हरियाली का घनत्व 0.3-0.7 दिया गया है तथा अंग्रेजी का प्रपत्र भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.7 दिया गया है। इसलिए हरियाली का घनत्वसेतक न देकर विशिष्ट रूप से दिया जाय।
- 2- भाग-2 हिन्दी प्रपत्र के कॉर्टलम संख्या 7 (7) में कुल बाधित वृक्षों की संख्या 916 बतायी है तथा जिसमें 0-10 व्यासवर्ग के 86 वृक्ष समिलित हैं जिनको प्रजाति वार संराश में उल्लेख नहीं गया है। शेष 827 वृक्ष 10-20 व्यासवर्ग से ऊपर सूचित किये गये हैं। 916 कुल में से 0-10 व्यासवर्ग के 86 वृक्षों की संख्या को घटाकर शेष 827 की संख्या में भी विभेद है, जिसको शुद्धिकरण किया जाना है। 0-10 व्यासवर्ग के वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर मार्ग के इर्द-गिर्द **Transplant** संबंधित क्षेत्र के वन कमियों तथा वनक्षेत्राधिकारी की देख-रेख में किये जाने हेतु प्रांकलन भी औन लाईन अपलोड करवाया जाय। इस संबंध में प्रस्तावक विभाग से **Transplant** किये जाने हेतु उनकी सहमति भी प्रमाण पत्र के रूप में संगत दस्तावेज औन लाईन अपलोड करवाया जाय।
- 3-916 वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में बाधित हो रहे हैं। इस संबंध में बाधित वृक्षों की संख्या को न्यून किये जाने हेतु अन्य विकल्पों परभी विचार किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के प्रपत्र -14 में अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यून होने संबंधी प्रमाण पत्र में आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 9.194 के स्थान पर 8.627 हेक्टर वन भूमि का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र में बाधित वन भूमि का क्षेत्रफल सही किया जाय तथा मोके पर अन्य विकल्पों पर किये गये विचार के संबंध में तुलनात्मक विवरण बिन्दुवार दिया जाय।
- 4-अंग्रेजी में भरा जाने वाला प्रपत्र भाग-2 के कालम -5 में प्रस्तावित मार्ग हेतु वांछित वन भूमि पर गेर बनिकी कार्य के संबंध में उक्त कक्ष संख्या को चीड़ कार्यवृत्त एवं संक्षण कार्यवृत्त के अन्तर्गत पड़ना बताया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। कार्य योजना में निर्देश क्या है तथा उक्त कार्यवृत्त में गेर बनिकी कार्य किये जाने पर उसके उपचार के संबंध में निर्देश निर्देश के अनुसार टिप्पणी की जानी है, इस संबंध में देखा जाय।
- 5- वर्ष 1980 से वन भूमि पर विकास कार्य हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगाने क्षेत्र से कम क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षरोपण किये जाने पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा कर रही है तथा इस संबंध में असन्तोष भी व्यक्त किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भली प्रकार परीक्षण करते हुए इस पर आल्या करविंग पत्र में दी जाय।
- अतः भारत सरकार एवं नोडल अधिकारी के स्तर से जारी चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का भली प्रकार परीक्षण करते हुए अतिरिक्त अभिलेख ई०डी०एस० के माध्यम से कवरिंग पत्र में उल्लेख औन लाईन अपलोड करें तथा की गई कार्यवाही की हार्ड प्रति साथ-साथ भेजी जाय।

मवदीय,

(आर०क०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून |
खण्ड, ६इन्द्रा नगर, देहरादून को

प्रतिलिपि— अधिकारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०सिंचाई देहरादून |

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०क०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून |